सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

दिनेशदान V/S इन्द्रदान

राजस्व वाद संख्या 138/2019

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व जो हुकम जारी हुए
29.11.19	पत्रावली पेश हुई। वादीगण के वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता उप0। वादीगण के अधिवक्ता को सुना गया। वादीगण ने उक्त वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त एवं पुश्तैनी खातेदारी की विभाजित भूमि खेत खसरा नम्बर 379 रकबा 184.08 बीघा, मौजा झण्कली, पटवार मण्डल झण्कली, तह0 गडरारोड़ में वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व0 कलदान पुत्र खुबदान के नाम से आई हुई थी। जो उनके देहावसान पर प्रतिवादी संख्या 1 को विरासती हिस्से अनुसार प्राप्त हुई। जिसका राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद विरासत के नामान्तरकण की स्वीकृति से हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में विभाजित होकर नवसृजित ग्रामा झण्कली में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से आई हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी वर्तमान में खेत खसरा नम्बर 379 रकबा 184.08 बीघा वाके मौजा झण्कली, पटवार मण्डल झण्कली तह0 गडरारोड़ में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम आई हुई है। वादीगण जाति से चारण होने से हिन्दू विधि से शासित होते है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी एवं सहदायिकी की होने के कारण उक्त भूमि पर वादीगण का जन्मतः हक है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 की औलादें हैं किन्तु वादीगण के पितामह कलदान पुत्र खुबदान के फोत होने पर दायर नामान्तकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज होने से राजस्व रेकर्ड में भी वादीगण के नाम दर्ज नहीं हुए अतः वादीगण ने वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ स्वयं को सहखातेदार घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। वाद पंजीयन कर उसमें अंकित तथ्यों के संबंध में पुश्तैनी रेकर्ड में खतोनी बन्दोबस्त का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अजखुद उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा माफिक वाद स्वयं के साथ वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने मे अपनी सहमति व्यक्त की उभय पक्ष ने बतौर साक्ष्य अपना ब्यान शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं अजखुद अदालत में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर बाद तस्दीक राजीनामा अनुसार खातेदारी घोषणा किये जाने का निवेदन किया। पक्षकारान ने अपने बयान कलमबद्व करवाये ओर दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदिया, खतोनीबन्दोबस्त व संरपच ग्राम पंचायत झण्कली द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये है।	

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

(सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

डिकी पर्चा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव जिला बाडमेर

राजस्व वाद सं. 138/2019

वदीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. दिनेशदान पुत्र इन्द्रदान 2. दलपतदान पुत्र इन्द्रदान 3. रमेशदान पुत्र इन्द्रदान जाति– चारण, नि0 झण्कली, नि0 गडरारोड़		इन्द्रदान पुत्र कलदान, जाति–चारण, नि0 झण्कली तह0 गडरारोड़।

अधिवक्तागण –वादी वकील – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग
प्रतिवादी वकील – श्री ईश्वरसिंह भाटी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग एवं प्रतिवादी संख्या 1 श्री ईश्वरसिंह भाटी उपस्थिति में आज तारीख 29.11.2019 को सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) शिव के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तह0 गडरारोड़, पटवार मण्डल झण्कली के ग्राम झण्कली में अवस्थित खेत खसरा नम्बर 379 रकबा 184.08 बीघा भूमि में प्रत्येक वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का सह खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव

Scanned by CamScanner

हमने वाद के तथ्यों पर दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गंम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी की खतोनी बन्दोबस्त ग्राम झण्कली, तहसील गडरारोड़ के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुश्तैनी एवं सहदायिकी सम्पति की है। जो उन्हें कलदान पुत्र खुबदान से विरासत मे प्राप्त हुई थी। संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार इन्द्रदान के तीन पुत्र– दिनेशदान, दलपतदान, रमेशदान है और इनके अतिरिक्त इन्द्रान के अन्य कोई जीवित या मृत वारिस नहीं है और पुश्तैनी भुमि के आधार पर वादीगण का उक्त भूमि पर जन्मतः हक है मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तह0 गडरारोड़, पटवार मण्डल झण्कली के ग्राम झण्कली में अवस्थित खेत खसरा नम्बर 379 रकबा 184.08 बीघा भूमि में प्रत्येक वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर का सह खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर
शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 17:07:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: